THIRTY RUPEES

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

United Provinces

FIVE RUPEES

पाँच रुपया

[illegible]

कुल कमालियत मुबलिग 38 रुपया 8 आना के स्टाम्प पर तहरीर है

मनकि रामप्रसाद शुक्ल पिसरान कौम कुर्मी साकिन मौजा बेरी अकबरपुर परगना व जिला कानपुर व मुसम्मात कौशिल्या बेवा रामरतन कौम कुर्मी साकिन मौजा बेरी अकबरपुर परगना व जिला कानपुर के है। बाइस चूंकि मुकिरान मालिक व काबिज एक किता बाग जिसे खसरा पांच सौ सेतिस तादादी तीन बीघा चार बिस्वा पैन्द्रह बिस्वांसी वाके मौजा बेरी अकबरपुर बांगर मुहाल सूरज प्रसाद परगना व जिला कानपुर अन्दर चौहद्दी तीन मे वकूअ मुकिर के और कोई दूसरा मालिक व शरीक हकदार व हिस्सेदार नहीं है और मुकिरान को हर किस्म के अख्तियारात मुन्तकिली हासिल है और बाग मजकूर कहीं रहन व बय व मुस्तगरक बजमानत वगैरह नहीं है गरज कि जुमला अकसाम के बार मुआखिजा जात से पाक व साफ है और न किसी शख्स की डिगरी मे कुर्क व बरामदे नीलाम है लिहाजा बहालत सेहत जात व सबात अक्ल बदुरुस्ती होश व हवास बिला जब्र व इकराह व दबाव नाजायज के बाग मुन्दर्जा व मुफस्सिला जैल मय जुमला हक व हकूक दाखिली व खारिजी हाल व आयन्दा बिला इस्तसनाय किसी शय व हक के बगरज इखराजात खानगी बिलएवज मुबलिग दो हजार 2000) रुपया जिसका बहरा शादी कि निस्फ जिनके

मुबलिग 1000) एक हजार रुपया जिसका मौसूफा होते है बदस्त बाबू शिव-

नारायन मेहरोत्रा वल्द बाबू भगवान मेहरोत्रा साकिन आर्यनगर शहर

कानपुर पाकर लिया व बवक्त और कुल जरे समन नकद कबल रजिस्टरी

पा लिये अब जिम्मे मुश्तरी एक हब्बा बाबत जर समन बाकी नहीं रहा।

मिनमुकिरान ने अपना कब्जा बाग मुबइया से हटा कर मुश्तरी मौसूफ के कब्जा

मे दे दिया और मिस्ल अपने काबिज व दखील करा दिया अब किसी किस्म का

हक व दावा मिनमुकिरान का शय मुबइया मे बाकी नहीं रहा बाद अगर

कोई दूसरा वारिस व शरीक हकदार व हिस्सेदार होकर इस्तहकाक जाहिर करे

जिसकी वजह से कुल या जुज शय मुबइया कब्जा मुश्तरी से निकल जावे या

कोई बार मुश्तरी को जिम्मगी मिनमुकिरान अदा करना पड़े तो मुश्तरी को

अख्तियार है कि वह कुल या जुज जर समन मय रकम नकद अदा करदा

व हरजाअ खालिश व नोकसान अजा जायदाद मनकूला व गैरमनकूला मय हर्जा

व खर्चा के जवाह जिस तरह से चाहे वसूल कर लेवे इसमे किसी किस्म का

ज़ुर मुफिरान व दाखिलान व कायम मुकामान मुफिरान को न होगा।

पस मुस्तरी को अख्तियार है कि वक्लराज नाम मुफिरान मुस्तरी अपना नाम दर्ज कागजात सरकारी करा लेय।

लिहाजा यह चन्द कलमा बतौर बयनामा कर्ज के लिख दिया कि सनद रहे और वक्त पर काम आवे फक्त।

तफसील बाग नंबरी जैल वाके मौजा बेरी अकबरपुर बांगर मुताल्लुक सूरजप्रसाद परगना कानपुर बकदर दो बटा तीन।

2:3

नंबर साबिक	नंबर हाल	रकबा	लगान
नौसौबहत्तर972	पांच सौ तैतिस 533	तीन बीघा बारह बिस्वा	खिलाफ
नौसौतिहत्तर973		पन्द्रह बिस्वांसी	बागीचा

तहरीर तारीख 23 मई सन् 1947 ई0 बकलम कामताप्रसाद अर्जीनवीस कानपुर

द: रामप्रसाद बकलमखुद

नि अ. मु. कौशिल्या गवाह- ह: अमरसिंह गवाह ह: बहादुरसिंह

ह: रामप्रसाद व.मुद

नि अ.मु.कौशिल्या   द: रामप्रसादवस्मरखुद नि अ. मुसम्मात कौशिल्या

110 तारीख 23 मई सन् 1947 कागज कीमती तीन रुपया 30) रामप्रसाद वल्द बिहारी साकिन बैरी अकबरपुर परगना व जिला कानपुर के बवा द: उमादत्त

के.कचेहरी कानपुर

111 तारीख 23 मई सन् 1947 ई0 कागज कीमती पाँच रुपया हाथ राम प्रसा वल्द बिहारी साकिन बैरी अकबरपुर परगना व जिला कानपुर के बवा उमादत्त लें. क: कानपुर 113- तारीख तक- 23 मई सन् 1947 कागज कीमती साढे तीन रुपया हाथ रामप्रसाद वल्द बिहारी साकिन बैरी अकबरपुर परगना व जिला कानपुर के बवा द: उमादत्त के.कचेहरी कानपुर.

रामप्रसाद वल्दबिहारी कौम कुर्मी पेशा जमींदारी साकिन बैरीअकबरपुर परगना कानपुर ने दफ्तर सब रजिस्ट्रार कानपुरमेंआज बतारीख 23 मई सन् 1047 मावैन 3 बजे दिन के पेश की । ह: सबरजि. 23-5-47

मुसम्मात कौशिल्या बेवा रामसनेही कौम कुरमी पेशा जमींदारी साकिन
खेरीअकबरपुर जिला कानपुरने र०बाल फिकर करके मुबलिग 2000)
नकद मेरे रूबरू वसूल पाकर पाये। शिनाख्त मुकिरान मजकूरेन की अमर
सिंह वल्द तुलसी राम सिंह कौम ठाकुर पेशा जमींदारी साकिन खेरी
अकबरपुर मजकूरने की और राधामोहन वल्द रामप्रसाद कौम कुरमी
पेशा खेती साकिन खेरी अकबरपुर मजकूरने की ।

ह: ए.एम. अजवी सा.र.

23-5-47

द: रामप्रसाद वकलम खुद

अ=गूठा मुसम्मात कौशिल्या मुकिरा नाख्वान्दा

ह: अमरसिंह ब नि अ.

राधामोहन के दस्तखत ब नि अ.

मुन्दरजावाला निशानात बाजाब्ता लियेगये हैं और गवाहान

बजाहिर मातबर मालूम होते हैं ।

ह: स.र. ए.एम. अजवी

23-5-47

रजिस्टर नंबर 1 जिल्द 1418 के सफात 37 व 38 पे नंबर
1398 पर आज बतारीख 26 मई सन् 1947 को रजिस्टरी की गई ।

ह: सब रजि. ए.एम. अजवी

--